भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय
केरल, एम.जी. रोड, डाक थैला सं 5607
तिरुवनन्तपुरम-695 001

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUTANT GENERAL (A&E)
KERALA, M.G. ROAD, P.B. NO. 5607
THIRUVANANTHAPURAM-695 001

सं/No. P19/II/DRSSA-14/RAJ/2018-19/

दिनांक/Date: 11/05/2018

To,

All District/ Sub Treasury Officer

Sir,

Sub: Pension revision/ fixation of pensioners/family pensioners deceased on or after 31/12/2015-Rajasthan state Government-reg.

Ref: 1. SSA No. Pension Auth/Order/2018-19/101 dated 11/04/2018 received from the O/o Accountant general(A&E), Rajasthan

2. No. 5(294) DPD/Rules/2017/947-1000 H dated 21/03/2018 of Govt. of Rajasthan

I am to enclose herewith the copies of the SSA received from the Accountant General, Office of the Accountant General (A&E), Rajasthan and a letter from Director, Directorate of Pension & Pensioner's Welfare Department, Rajasthan regarding the **Pension revision / fixation of pensioners/family pensioners deceased on or after 31/12/2015**.

The same is being placed in the official website of this office (**www.agker.cag.gov.in**) under the link:-"***Treasury endorsement of orders for other state pensioners***". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully,

Sr. Accounts Officer

Copy to:

The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram.

Sr. Accounts Officer

दूरभाष/Telephone: 0471-2330311 फैक्स/Fax: 0471-2330242 तार/Grams: ACCOUNTS TRIVANDRUM
ई-मेल/E-mail : agaekerala@bsnl.in Website : http://www.agker.cag.gov.in

P/S/II/02559/14
19/4/18

विशेष मुद्रा प्राधिकृति के अन्तर्गत रजिस्टर्ड-पत्र

P19
28251
18/4/18

संख्या / No. पेंशन प्राधि./आदेश/2018-19/ 101

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

सत्यमेव जयते

दिनांक / Date 11/4/18

श्रीमान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक़),
केरल, एम० जी० रोड,
पो. बा. नं. 5607
तिरुवनंतपुरम - 695039

विषय:-दिनांक 31-12-2015 एवं इसके पश्चात मृत पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरो की पेंशन संशोधन/ निर्धारण करने के सम्बंध में।

प्रसंग:- राजस्थान सरकार के वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन पत्रांक एफ 12(6) एफ.डी./रूल्स2017दिनांक 30.10.2017, 05.12.2017, 09.12.2017 एवं 24.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.5(294)निपेवि/नियम/2017/947-1000H दिनांक 21.03.2018 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियो / बैंक शाखाओ को प्रसारित करने का श्रम करे तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करे।

सलंग्न:- पत्र दिनांक 21.03.2018 की प्रति

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 11.4.18

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति

जनपथ, जयपुर-302005, दूरभाष:(0141) 2385431-39, फैक्स:(0141)2385263
Janpath, Jaipur-302005, Tel.:(0141) 2385431-39, Fax : (0141) 2385263
ई मेल / E-Mail : agaerajasthan@cag.gov.in

राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.5(294)निपेवि/नियम/2017/ 947-1000 I-I दिनांक : 2/03/2018

1. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), एस.बी.आई. तिलक मार्ग, जयपुर।
2. महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, 13, बडौदा भवन क्षेत्रीय कार्यालय पंचवी मंजिल एयरपोर्ट प्लाजा टोंक रोड, दुर्गापुरा, जयपुर।
3. सहायक उप महाप्रबन्धक, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आनन्द भवन, संसारचन्द्र रोड, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक, यू.को.बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, आर्केड इन्टरनेशनल, अजमेर रोड, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, किसान भवन, लाल कोठी, सब्जी मण्डी, जयपुर।
6. सहायक महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, एलआईसी बिल्डिंग जीवन निधि भवन अम्बेडकर सर्किल भवानी सिंह रोड, जयपुर।
7. सर्किल मैनेजर (फील्ड महाप्रबन्धक), पंजाब नेशनल बैंक 2, नेहरू पैलेस, टोंक रोड, जयपुर।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक (उप महाप्रबन्धक), ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, आनन्द भवन, द्वितीय तल, संसारचन्द्र रोड, जयपुर।
9. जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, बी–4 सेक्टर 2 जवाहर नगर जयपुर (व्हाइट हाउस के पास)
10. मुख्य प्रबन्धक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 6 वां तल फॉर्च्यून हाइट्स सी–94, मुख्य सुभाष मार्ग अहिंसा सर्किल सी–स्कीम, जयपुर।
11. उपमहाप्रबन्धक (बैंकिंग एण्ड ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस–I) एसबीआई, नेहरू पैलेस टोंक रोड, जयपुर।
12. सहायक महाप्रबन्धक (CPPC), SBI, एसएमएस हाईवे, चौडा रास्ता, जयपुर।
13. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त कोषाधिकारी, ...

विषयः– दिनांक 31.12.2015 एवं इसके पश्चात् मृत पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन संशोधन/निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– राजस्थान सरकार के वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन पत्रांक प.12(6)/वित्त/नियम /2017 दिनांक 30.10.2017, 05.12.2017, 09.12.2017 एवं 24.01.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की अनुपालना में बैंकों को दिनांक 31.12.2015 तक के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन को बिना आवेदन के 2.57 से गुणा कर संशोधित करने के निर्देश इस विभाग द्वारा भी जारी किये जा चुके हैं। अधिकांश बैंकों द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन कर भुगतान भी प्रारम्भ कर दिया है। जिन पेंशनर्स की मृत्यु दिनांक 31.12.2015 के बाद हो गई है इनके परिवार को पूर्व में अधिकृति में अंकित आधार पर पारिवारिक पेंशन का भुगतान बैंकों के द्वारा किया जा रहा है, उनकी पारिवारिक पेंशन का संशोधन बैंकों के द्वारा उक्त आदेशों के अनुसार इसलिये नहीं किया गया क्योंकि उक्त दिनांक 31.12.2015 को पेंशनर के परिवार का सदस्य पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा था। पारिवारिक पेंशन का भुगतान की देयता दिनांक 31.12.2015 के बाद होने के कारण पारिवारिक पेंशन का संशोधन सम्बन्धित कोषाधिकारी के द्वारा ही निम्नानुसार किया जाना वांछित है, जिससे पेंशनर

के ऐरियर का भुगतान राज्य सरकार के आदेशानुसार एक मुश्त किया जा सके तथा पारिवारिक पेंशन का सही निर्धारण होकर सॉफ्टवेयर में भी तदनुसार आवश्यक दुरस्ती हो सके :–

1. दिनांक 31.12.2015 के पश्चात मृत पेंशनर्स के परिवार को पारिवारिक पेंशन का संशोधन उनके द्वारा छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत प्राप्त पारिवारिक पेंशन के अनुसार किया जाना है। अतिरिक्त पेंशन की राशि को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाना है।
2. पेंशन संशोधन के समय पेंशनर के पी.पी.ओ में वर्णित पारिवारिक पेंशन छठे वेतनमान में होने पर ही सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित करने की कार्यवाही आवश्यक रूप से की जावे।
3. सेवानिवृति के बाद पेंशनर की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का भुगतान 7 वर्ष अथवा पेंशनर की 67 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक ही किया जाना है। तत्पश्चात इन प्रकरणों में आगे से घटी हुई दर को 2.57 से गुणा कर पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जावेगा।
4. पेंशनर के जीवनकालीन पेंशन अन्तर की राशि सातवें वेतनमान में करने पर, अगर कोई ऐरियर की राशि बनती है, तो पारिवारिक पेंशनर को पूरी राशि का भुगतान एकमुश्त नगद में किया जादेगा।
5. जिन पारिवारिक पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन राशि रु 3450/– प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है, इन प्रकरणों में वर्तमान पेंशन राशि को 2.57 से गुणा करनें पर, जो भी राशि आती है यथा रु 8,867/– आता है तो यह देय होगी, न की न्यूनतम संशोधित पेंशन रू 8850/–। लेकिन यदि संशोधित पेंशन राशि रु 8850/– प्रतिमाह से कम आती है तो न्यूनतम पेंशन राशि रु 8850/– देय होगी।
6. सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित पारिवारिक पेंशन पर राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार दिनांक 01.01.2017 से 4 प्रतिशत तथा दिनांक 01.07.2017 से 5 प्रतिशत महँगाई राहत का भुगतान देय होगा।

Hindi Cell
Transit

हिन्दी

अतः समस्त बैंकर्स को यह निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित पारिवारिक पेंशनर की पत्रावली मय पेंशनर के पी.पी.ओ. के सम्बन्धित कोषाधिकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु शीघ्र अग्रेषित करें। कोषाधिकारी के द्वारा बैंकों से जैसे ही पत्रावली प्राप्त हो पारिवारिक पेंशन का शीघ्र सातवें वेतनमान में निर्धारण कर सॉफ्टवेयर में आवश्यक इंद्राज कर सम्बन्धित बैंक को वापस भुगतान हेतु भिजवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सुरेश कुमार असवाल)
निदेशक

9/5/18

क्रमांक : प.5(294)निपेवि/नियम/2017/

दिनांक :

प्रतिलिपिः– निम्नांकितो को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ तकनिकी निदेशक (NIC) कार्यालय हाजा।
2. D.D, I.F.P.M.S कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही एवं विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने के सम्बन्ध में

निदेशक

Under Special Seal **Registered letter**

NO. Pension Auth/Order/2018-19/101
INDIAN AUDIR AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN
Date 11.04.2018

To,

The Accountant General (A&E)
Kerala, M.G Road
P.B No. 5607,
Thiruvananthapuram-695039

Sub: Pension amendment/ determination of deceased pensioners/ family pensioners after 31.12.2015 and later.

Ref: Memo no. F 12(6)/F.D/Rules 2017 dated 30.10.2017, 05.12.2017, 09.12.2017 and 24.01.2018 of Finance (Rules) Department of Govt. of Rajasthan.

Sir,

On the mentioned subject it is stated that letter 5(294)..../Rules/2017/947-1000H dated 21.03.2018 of Directorate, Pension & Pensioners Welfare Department, Rajasthan, Jaipur is being forwarded for necessary action.

Therefore, you are requested to distribute the above order to all treasury officers/ Pension Payment Officers/ Bank Branches under you and forward a copy to this office also.

Encl: copy of letter dated 21.03.2018

Yours faithfully,

Sd/-
Sr. Accounts Officer/ Pension Auth.

Government of Rajasthan
Directorate of Pension & Pensioners' Welfare Department, Rajasthan, Jaipur

No. 5(294)DPD/Rules/2017/947-1000 H   Dated 21.03.2018

To

13. The Accountant General (A&E) Rajasthan, Jaipur

Sub : Pension revision/fixation of pensioners/ family pensioners deceased on or after 31.12.2015.

Ref : Memorandum no. F 12(6)/FD/Rules2017 dated 30.10.2017, 05.12.2017, 09.12.2017 and 24.01.2018 of Finance (Rules) Department of Govt of Rajasthan.

Sir,

In compliance to the reference letter on the above mentioned subject, directions have been issued to the banks by this office also for the revision of pension of pensioners / family pensioners upto 31.12.2015 by multiplying with 2.57, without receiving application. Payment after revision of pension/family pension has been started by most of the banks. Payment of family pension to the family of those pensioners deceased after 31.12.2015, is being made by the Banks on the basis of the authority given earlier, revision of their family pension has not been done by the banks as per the above orders because the family member of the pensioner was not receiving family pension on the above date 31.12.2015. As the payment of family pension is admissible only after 31.12.2015, it is desirable that the revision of family pension is done by the concerned Treasury Officer as per rules as given below, so that lump sum payment of arrear can be made to the pensioner as per the orders of the State Government and after correct fixation of family pension, software can also be updated accordingly :-

1. Revision of family pension to the family of the pensioner deceased after 31.12.2015 shall be made as per the family pension received by him under the Sixth Pay Commission. Amount of additional pension shall not be included in this.

2. Action may invariably be taken for revision as per the Seventh Pay Commission, only if the family pension mentioned in the PPO of the pensioner at the time of pension revision is in the Sixth Pay Commission.

3. In case of death of the pensioner after retirement, payment of family pension at the increased rate will be made till 7 years or till the age of 67 years of pensioner, whichever is earlier. Thereafter in such cases payment of family pension will be made by multiplying the reduced rate with 2.57.

4. After converting the amount of lifetime pension difference of the pensioner as per Seventh Pay Commission, if there is any arrear amount, the entire amount will be paid to the family pensioner in lump sum, in cash.

5. Those family pensioners who are being paid minimum pension amount of Rs. 3450/- p.m, in such cases on multiplying the present pension amount with 2.57, if the resulting amount is Rs. 8867/- it shall be payable, not the minimum revised pension Rs 8850/-. But if the revised pension amount is less than Rs. 8850/- p.m., minimum pension amount of Rs. 8850/- will be payable.

6. As per the orders of the State Government on revised family pension under the Seventh Pay Commission, dearness relief of 4 percent from 01.01.2017 and 5 percent from 01.07.2017 shall be payable.

Therefore, all the bankers are directed to forward the P.P.O of pensioner along with the documents of the concerned family pensioner to concerned Treasury Officer urgently for advance action. On receiving the documents from the bank, the fixation of family pension as per Seventh pay commission, making necessary entry in the software and returning the same to the concerned bank for payment, may be ensured by the Treasury Officer.

Yours faithfully,
Sd/-
(Suresh Kumar Aswal)
Director

No. 5(294)DPD/Rules/2017/947-1000H Dated

Copy to:- Forwarded to the following for information / necessary action

1. Sr Technical Director, (NIC) Office Haja.
2. D.D., I.F.P.M.S Office, Haja, for necessary action and for uploading in departmental website.

/
Director